ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम् उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती निर्मला देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्री राकेश कुमार	23.1.2016 से निरन्तर

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विजय कुमार	1.4.2013 से 27.2.2015
2	श्री संजय कुमार	28.2.2015 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत गगल के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवम् निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	2.96
2	6	स्वः स्त्रोतों की वसूली शेष	0.24
3	7	अनुदान का उपयोग न करना	13.19
4	9	क्रय सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में न करना	0.26
5	10	बिना भुगतान बिल बनाये भुगतान करना	0.06
6	11	खेल सामग्री का पंचायत प्रतिनिधियों को जारी करना	0.47

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवम् वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2017 से 21.01.2017 तक ग्राम पंचायत गगल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय तथा व्यय के लिए क्रमशः 03/2014, 03/2015, 02/2016 तथा 01/2014, 01/2015, 05/2015 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के अपूर्ण/गलत तथा उपलब्ध न होने की दशा में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 21.1.2017 द्वारा सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 176850118 दिनांक 30.01.2017 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत गगल के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	10121	58719	68840	28264	40576
2014–15	40576	56591	97167	9495	87672
2015–16	87672	46855	134527	4006	130521

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत गगल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	727705	5436321	6164026	5231417.50	932608.50
2014–15	932608.50	2001544	2934152.50	1961526.00	972626.50
2015–16	972626.50	1856181	2828807.50	1510052.00	1318755.50

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

स्वः स्त्रोत		
दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही का अन्तशेष		₹130521
अनुदान		
दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही का अन्तशेष		₹1318755.50
	योग	**₹1449276.50**
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों का शेष		₹1745217.64
अन्तर		₹295941.14

	बैंक खाता	राशि
(i)	MNREGA	0
(ii)	Own Source & Misc. Grants A/C No. 20049014917 KCCB Dheera	₹1715132.64
(iii)	-do- A/C No. 50058259804 KCCB Dheera	₹30085.00
	Total	**₹1745217.64**

अन्तर का कारणः–उक्त अन्तर ₹295941.14 बारे समाधान व स्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 18.1.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः लेखों का समाधान कर आगामी लेखा परीक्षण में पुष्टि हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म 11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–II** में संलग्न विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व के रूप में (गृहकर) की ₹24285 की वसूली शेष थी। इस राशि की वसूली अविलम्ब सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹13.19 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1318755.50 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करके इस राशि का व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था/विभाग को किया जाये तथा पूर्ण किये जा चुके विकासात्मक कार्यों के लिए प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता पत्रों का प्रेषण सम्बन्धित विभागों को किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 स्वः स्त्रोत आय का कम जमा करवानाः–

चयनित माह 03/15 में प्राप्त हुए गृहकर से प्राप्त स्वः स्त्रोत आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.15 को रसीद संख्या 83101 से 154/64 से वसूल की ₹2045 के स्थान पर सामान्य रोकड़ बही में ₹1870 की प्रविष्टि की गई जिसके फलस्वरूप ₹175

G.P. Gagal

पंचायत निधि में कम जमा हुई, इस राशि ₹175 को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा रसीद संख्या 83165/64 दिनांक 18.1.2017 द्वारा जमा करवा दिया गया। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाये।

9 क्रय किये गये ₹0.26 लाख की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹26445 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति व जारी करने की प्रविष्टियाँ नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वाउचर संख्या	विवरण	राशि
1	33 माह 1/14 (सामान्य रोकड़ बही)	न्यूगल प्रिंटिंग प्रैस से लेखन सामग्री का क्रय	3240
2	34 माह 01/14 (सामान्य रोकड़ बही)	हि0प्र0 खाद्य आपूर्ति निगम से 40 बैग सीमेन्ट	8840
3	38 माह 01/14 (सामान्य रोकड़ बही)	65 बैग सीमेन्ट खाद्य आपूर्ति निगम	14365
		योग	**₹26445**

10 बिना भुगतान बिल तैयार कर भुगतान बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में पंचायत द्वारा वाउचर तैयार न कर, सीधे वेतनावलि द्वारा चौकीदार को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया, जोकि नियम 47 के प्रतिकूल है।

क्र0सं0	अवधि	वेतनावलि पृ0सं0	भुगतान विवरण
1	12/14	105	₹2000 चैक सं0 68058 दिनांक 7.1.15
2	01/15	105	₹2000 चैक नं0 68715 दिनांक 28.1.15
3	04/15	100	₹2000 चैक सं0 905001
		योग	₹6000

भविष्य में सभी व्ययों/प्रभारों का भुगतान वाउचर द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Gagal

11 ₹0.47 लाख की खेल सामग्री पंचायत प्रतिनिधियों को जारी करनाः—

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिला परिषद से प्राप्त अनुदान से, स्वीकृत पत्र की शर्त के अनुसार वाउचर संख्या 40 माह 01/15 द्वारा मै0 शौर्य एण्टरप्राईजिज से, उनके बिल संख्या 198 दिनांक 29.1.15 द्वारा ₹46528 की खेल सामग्री का क्रय किया गया, परन्तु इस सामग्री को किसी पंजीकृत युवा क्लब को जारी न करते हुए सभी बार्डों के पंचायत सदस्यों को जारी किया गया तथा स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के अनुसार पंचायत सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर इस सामग्री को स्टोर में वापिस नहीं किया गया है। अतः खेल सामग्री के निर्गमन को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाऐ अन्यथा सामग्री की वापसी सुनिश्चित की जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख—रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

G.P. Gagal

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्षः–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 94/2017–खण्ड–1–3081–84 दिनाँक 02.06.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत गगल, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881